

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,सिणधरी**

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) केम्प:-अटल सेवा केन्द्र डण्डाली

प्रकरण सं.:- 15/17


क्रमांक:-लो.अदा./2017/ 189

दिनांक:-27.5.17

**आदेश**

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी डण्डाली व भूअ.नि.भुंका वगतसिंह की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिणधरी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अनुसरण में ग्राम सरेली की ढाणी एवं ग्राम डण्डाली तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर की जमाबन्दी संवत् 2072-2075 में खाता संख्या में वर्तमान को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-


क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	सरेली की ढाणरी	4	468/1,487,488,519	सवाईराम वल्द कालूराम	सवाराम वल्द कालूराम
2.	डण्डाली तहसील सिणधरी	83,84	59,60,218,219,238,321	सवाईराम उर्फ सवाराम वल्द कालूराम	सवाराम वल्द कालूराम <b>शेष बद्दुस्तर</b>

  
27/5/17  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,सिणधरी  
दिनांक:-27.5.17

क्रमांक:-लो.अदा./2017/ -190-192

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है,कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना से रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री सवाराम वल्द कालूराम जाति जाट निवासी सरेली की ढाणी तहसील सिणधरी को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

  
27/5/17  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,सिणधरी